संख्या- 21 /2022/2137जेएल/22-3-2021-100(19)/2018

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2022*

विषय- जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी फईक पुत्र स्व0 शफीक उर्फ शफ्फो पहलवान को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4229/सामा-1(7)/फईक/फिरोजाबाद/2020, दिनांक 19-02-2021 एवं पत्र संख्या-37481/सामा-1(7)/फईक/फिरोजाबाद/2020, दिनांक 02-12-2021 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अंतर्गत जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी फईक पुत्र स्व0 शफीक उर्फ शफ्फो पहलवान को जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने निर्णय लिया गया है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-21 /2022/2137जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद/लखनऊ।
5- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
6- पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, फिरोजाबाद से जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
8- अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in